कार्यालय पुलिस आयुक्त, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली।

संख्या-104/जनसम्पर्क शाखा, पु0मु0, नई दिल्ली दिनांक 21 मई, 2021

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक
अमर उजाला
1, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली– 110001

विषयः "दिल्ली सरकार को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा" शीर्षक के अन्तर्गत छपी खबर के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण/खण्डन।

महोदय,

कृपया, दिनांक 15.05.2021 को आपके समाचार पत्र में "**दिल्ली सरकार को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा**" प्रकाशित खबर का अवलोकन करें। प्रकाशित खबर के तथ्य भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण हैं।

आपके संवाददाता पुरूषोतम वर्मा का यह दावा कि " दिल्ली पुलिस के एक विशेष आयुक्त स्तर के अधिकारी ने जिले के पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाला था कि **"आरोपी सुशील कुमार के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 302 के स्थान पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज करें"**, जिस कारण मामला दर्ज करने में देरी हुई, आधारहीन, भ्रमित एवं निदांत्मक है।

इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि एफआईआर तथ्यों की समग्रता की जांच–पड़ताल करने के बाद उचित धाराओं में दर्ज की गई थी। बाद में जैसे–जैसे मामले की जांच में तथ्य सामने आते गये संबंधित धाराएँ 365/302/120 आईपीसी कानूनी प्रावधान के अतंर्गत मुकदमें में सम्मलित की गई। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आपके संवाददाता ने इस खबर के माध्यम से अनावश्यक रूप से पुलिस कार्यशैली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय संगिता पर प्रश्नचिन्ह् लगाया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आपके संवाददाता ने पत्रकारिता के पेशे में अनैतिक रूप से इस निंदात्मक खबर को खूफिया सूत्रों की जानकारी के वेष में सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य से प्रकाशित किया है। आपके संवाददाता से अपेक्षा है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर खबर लिखते समय विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी से तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए थी।

कृपया उपरोक्त तथ्यों को उचित स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें, ताकि आपके पाठकों को सही जानकारी मिल सके।

भवदीय,

21/5/21

(चिन्मय विश्वाल) भा.पु.से
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस, दिल्ली